न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 137/2018(2018/00183)

1. बजरंग पुत्र सुवालाल बलाई निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर —वादी

बनाम

1. भुवाना पुत्र देवी जाति बैरवा
2. भैरू पुत्र देवी जाति बैरवा
3. डाली पुत्री देवी जाति बैरवा
   निवासीगण ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री कालूराम गुर्जर, वादी अधिवक्ता
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 12.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया ,कि ग्राम सलारी तहसील केकडी की जमाबंदी संवत 2069—72 जमाबंदी 2076 से स्थायी के खाता संख्या नया—पुराना 256—203 के खसरा नम्बर 389, रकबा 0.27हैक्ट. किस्म चाही1 जाव1, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.24 हैक्ट. किस्म चाही1 जाव1 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 22.12.2021 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:—

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	भुवाना, भैरू पुत्र देवी, डाली पुत्री देवी जाति बैरवा सा0 देह खातेदार	389/1	0.03	च1जा1
		किता 1	रकबा 0.03	
2	बजरंग पुत्र सुवा जाति बलाई सा0 मेवदाकलां (फोत)	389/2	0.24	च1जा1
		390	0.24	च1जा1
		किता 2	रकबा 0.48	

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी का हिस्सा हरा रंग व प्रतिवादीगण का हिस्सा नीला रंग से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी बजरंग पुत्र सुवा बलाई निवासी मेवदाकला की मृत्यु होने से वादी के पुत्र राजू पुत्र बजरंग बलाई निवासी मेवदाकलां को सूचना लिखित में देने के बावजूद मोके पर उपस्थित नही हुआ। वकील पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। पक्षकारान ने राजस्व रिकोर्ड अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:–

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	भुवाना, भैरू पुत्र देवी, डाली पुत्री देवी जाति बैरवा सा0 देह खातेदार	389/1	0.03	च1जा1
		किता 1	रकबा 0.03	
2	बजरंग पुत्र सुवा जाति बलाई सा0 मेवदाकलां (फोत)	389/2	0.24	च1जा1
		390	0.24	च1जा1
		किता 2	रकबा 0.48	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना –अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)
केकड़ी,

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. बजरंग पुत्र सुवालाल बलाई निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर —वादी

बनाम

1. भुवाना पुत्र देवी जाति बैरवा
2. भैरू पुत्र देवी जाति बैरवा
3. डाली पुत्री देवी जाति बैरवा
   निवासीगण ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— <u>अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88,53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

मुकदमा नम्बरः— राजस्व वाद 137/2018 (2018/00183)
निर्णय दिनांकः— 12.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री कालूराम गुर्जर वकील वादी पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार तहसीलदार केकडी हाजिर गुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम व धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का दावा स्वीकार किया जाकर स्थायी जमाबंदी के खाता संख्या नया—पुराना 256—203 के खसरा संख्या 389 के रकबा 0.27 हैक्टर खसरा नम्बर 390 रकबा 0.24 हैक्टर निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 22.12.2021 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	भुवाना, भैरू पुत्र देवी, डाली पुत्री देवी जाति बैरवा सा0 देह खातेदार	389/1	0.03	च1जा1
		किता 1	रकबा 0.03	
2	बजरंग पुत्र सुवा जाति बलाई सा0 मेवदाकलां (फोत)	389/2	0.24	च1जा1
		390	0.24	च1जा1
		किता 2	रकबा 0.48	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आश्य का अंतिम डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक...बाबत्..............................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......
....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.12.2022 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा	----	----	बाबत इजराय हुक्मनामा	----	----
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner